न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 91 / 2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024 / 151

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
दौलतराम सुखाडिया पुत्र स्व. प्रतापचन्द जाति जटिया निवासी 860, जटियों का बास, ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली राज. हाल 130, डी सेक्टर, सरस्वती नगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर, जिला जोधपुर राज.		1. ग्राम पंचायत रोहट पंचायत समिति रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली 2. डॉ. हॅसराज सुखाड़िया पुत्र स्व. प्रतापचन्द जाति जटिया निवासी 806, जटियों का बास, ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली हाल मकान नम्बर 27, मीरा नगर, झालामण्ड, जोधपुर, जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़।
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 15/10/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रोहट द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.03.2018 की पालना में अप्रार्थी डॉ. हॅसराज सुखाड़िया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 एवं ओमप्रकाश तीन भाई है जिनका उनके माता–पिता की मृत्यु तक संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार रहा है। स्व. प्रतापचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में पैतृक उत्तराधिकार व संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से अर्जित की गयी समस्त सम्पतियां, हिन्दु–विधि, रूढ़ि एवं प्रथानुसार तीनों के पैतृक, संयुक्त अविभाजित स्वामित्व व आधिपत्य की है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत रोहट के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न तो प्रस्तुतीकरण की तिथी अंकित है और न ही जैर आराजी की स्थिति के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति ईश्तहार पर जारी या निष्पादन करने की तिथी एवं गवाहान की पूर्ण सकूनत अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत ने बिना साक्ष्य व किसी ठोस आधार के अप्रार्थी संख्या 2 का ही मकान बना हुआ है, पूर्व से अभिटंकित व छपे–छपाये प्रारूप को मानकर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि उक्त आराजी का पूर्व से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

ही ठिकाना रोहट द्वारा पट्टा दिनांक 08.08.1927 को बना हुआ है, जो विधिक प्रभाव में होते हुये भी ग्राम पंचायत ने पट्टे पर पट्टा जारी कर दिया। जैर आराजी का रजिस्टर्ड बंटवाड़ा हो रखा है उसके उपरान्त भी अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थी की सभी पैतृक सम्पतियों को अपना तथा खाली भूखण्ड को मकान व वाणिज्यिक दुकानों को रहवासीय बताकर विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा संख्या 008, 025, 034 व 035 जारी करवाये। इसलिये जैर निगरानी स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी विधिविरूद्ध जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर आराजी का रजिस्टर्ड बंटवाड़ा दिनांक 26.08.2022 को हो रखा है तथा इसी आराजी का पूर्व में पुश्तैनी पट्टा जारी हो रखा है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटिया एवं पंचायती राज नियमों की अवहेलना हुई है, ऐसे में जैर निगरानी पट्टा खारिज कर रिमाण्ड किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.03.2018 की पालना में अप्रार्थी डॉ. हॅसराज सुखाड़िया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस यह कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया हुआ है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने भी अधिवक्ता प्रार्थी के उज्र को स्वीकार करते हुये कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटिया एवं पंचायतीराज नियमों की अवहेलना हुई है। यह तथ्य स्वयं उभयपक्ष अधिवक्ता की स्वीकारोक्ति है, जिसके पश्चात किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस समबन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी समस्त याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, उनके साथ किसी प्रकार का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धिम मिसलों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.02.2018, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145 (3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रूपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146 (3) ''क से ड.'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न अंकित करती है। जैर निगरानी में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गयी है, वह समर्थन योग्य नहीं है। मिसल की आदेशिका दिनांक 20.02.2018 के द्वारा नियम 148 (3) के तहत आक्षेप आमन्त्रित करने हेतु जारी आपित्त इश्तिहार पर किसी सहजदृश्य स्थान में चस्पानगी के सम्बन्ध में दो गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं है। साथ ही प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। सम्पूर्ण मिसल निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है केवल आवेदक एवं जैर भूखण्ड की सूचना पेन से अंकित है तथा जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जा सत्यापन हेतु दो गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थानी पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। सरपंच द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इन समस्त तथ्यों के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रोहट द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.03.2018 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 डॉ. हॅसराज सुखाड़िया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 27.06.2018 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख ग्राम पंचायत रोहट को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner